(ड.) सीपीएसईज में बोर्ड स्तरीय पदों का सृजन

38 (1) शीर्ष पदों को समाप्त करना

कुछ प्रशासनिक मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों ने भारत सरकार के दिनांक 30.8.74 के संकल्प संख्या 5(1)/74–बी. पी. ई. (पी ई एस बी) के दायरे में आने वाले कतिपय पदों को रिक्त पड़े रहने देने की इच्छा व्यक्त की है। तथापि, जिस अवधि के दौरान पद रिक्त रखे जाते हैं, उस अवधि में उन्हें रिक्तियां समझा जाए। जैसा कि मंत्रालयों को पता है, लोक उद्यम चयन बोर्ड को रिक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से भरने में सरकार की मदद करने के उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पदों को रिक्त रखना कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है।

2. इस मामले पर लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 10.4.75 को अपनी बैठक में विचार किया गया और बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

''बोर्ड का मानना था कि अगर पद को भरने की कोई मंशा न हो तो उसे समाप्त कर दिया जाए। जब तक पद को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक उसे रिक्त माना जाएगा और उसे भरने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर, बाद में, उस पद को चालू करना आवश्यक हो जाता है तो उसका पुनः सृजन किया जा सकता है। यह इच्छा व्यक्त की गई कि संबंधित मंत्रालयों को इस संबंध में तद्नुसार परामर्श दिया जाए।''

3. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड के उपर्युक्त विचारों को नोट करें और अगर किसी भी स्वीकृत शीर्ष पद को न भरा गया हो तो तद्नुसार कार्रवाई करें।

(सं. 5(30)/75 बी.पी.ई.(पी ई एस बी), दिनांक 27 मई, 1975)